न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना संख्या:– 50/2022

प्रार्थीगण:–

1. टी.आर. पंवार शिक्षण संस्था, जोधपुर जरिये सचिव ओमप्रकाश पुत्र तेजराज, जाति–विश्नोई, निवासी– अप्रार्थी:– भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।
2. पूजा पत्नी श्री ओमप्रकाश, जाति–विश्नोई, निवासी– शंकर नगर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:–

1. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार, बावड़ी, जिला– जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक:– 22.04.2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम बावड़ी चक–प्रथम ,तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा बावड़ी चक–प्रथम के खसरा संख्या क्रमशः. 1905/2, व 1905/3 की भूमि आयी हुई है। वक्त तहसील ऑनलाईन करते समय उक्त खसरा न. की तरमीम गलत दर्ज की गई । जबकि प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण संख्या 4704 के निर्णय अनुसार पुस्त पर दर्ज नजरिये नक्शे अनुसार दुरस्त करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार बावड़ी ने प्रार्थीगणों की कृषि भूमि में खसरा संख्या 1905/2 व 1905/3 की तरमीमं वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में गलत होना स्वीकार किया । तथा फर्द एवं नामान्तरण सख्या 4704 पुस्त पर नजरीया नक्शा प्रस्तुत कर ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरस्त की अनुशंषा की गयी । पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त रिपोर्ट फर्द एवं नामान्तरण संख्या 4704 की पुस्त पर दर्ज नजरिये नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण सख्या 4704 की प्रमाणित प्रति एवं रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगी।

सुमित्रा पारीक
(उपखण्ड अधिकारी बावड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुमित्रा पारीक
(उपखण्ड अधिकारी बावड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 19:30:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner